

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ,उज्जैन

क्रमांक
प्रति

/पीपीयू./26/10/नग्रानि

उज्जैन, दिनांक

आयुक्त
नगर पालिक निगम (कालोनी सेल)
उज्जैन

- विषय :- म्यू. भवन क्रमांक-42 भाग, 42/1, 42/2, 42/3, वराहमिहिर मार्ग, क्षेत्रफल 507.60 वर्गमीटर मे से 329.15 व.मी. भूमि पर वाणिज्यक उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।
- संदर्भ :- श्रीमती प्रमिलादेवी गुप्ता आदि का आवेदन दिनांक 17.5.10 एवं नगर निवेशक नगर पालिक निगम उज्जैन का पत्र क्रमांक 508 दिनांक 15.9.10


-0-

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के आधार पर एतद् द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन म्यू. भवन क्रमांक-42 भाग, 42/1, 42/2, 42/3, वराहमिहिर मार्ग, क्षेत्रफल 507.60 वर्गमीटर मे से खुली भूमि को छोडकर शेष 329.15 व.मी. भूमि का संलग्न मानचित्र में लाल रंग से किये गये संशोधन अनुसार वाणिज्यिक उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाता है :-

1. भूमि के सामने स्थित वराह मिहिर मार्ग की चौड़ाई 30.48 मीटर प्रस्तावित है। अतः मार्ग मध्य से 15.24 मीटर मार्ग विस्तार हेतु छोडना आवश्यक होगी। पोर्च की भूमि पर निर्माण मान्य नहीं होगा।
2. भूमि के दक्षिण दिशा स्थित गली 3.05 मीटर उपलब्ध है, को यथावत खुला रखना आवश्यक होगा।
3. अधिकतम एफ.ए.आर. 2.0 भवन की अधिकतम उँचाई 12.5 (जी+3) मीटर एवं भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र 80% मान्य होगा।
4. यह अनुज्ञा केवल वाणिज्यिक भवन निर्माण हेतु दी जा रही है। इसे किसी भी प्रकार के भूखंड/उप-विभाजन की अनुमति नहीं माना जावे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 81 परिशिष्ट "ठ" एव ठ-क के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना आवश्यक होगा। पार्किंग व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मुख्य मार्ग पर स्वीकार्य नहीं होगी।

- 6 म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (कमांक 23 सन् 1956) तथा इसके तहत निर्मित म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम के तहत यदि कोई अनापत्ति / अनुज्ञा आवश्यक हो तो वह स्थल पर विकास / निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन) से लेना अनिवार्य होगा एवं उसका पालन सुनिश्चित करना होगा ।
- 7 भवन का निर्माण भूकम्प अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार की डिजाईन फाल्ट एवं स्वीकृति के विपरीत निर्माण की अवस्था में संभावित हानि संबंधी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
- 8 संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे ।
- 9 म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी । इसके पश्चात ही भूखंड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
- 10 यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष तक मान्य रहेगी, समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नियत समयावधि के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 11 बहुमंजिला समिति की बैठक दिनांक 28.04.2010 मे लिये गये निर्णय अनुसार बहुमंजिला भवनो के प्रस्तावित निर्माण हेतु निर्धारित राशि अग्निशमन संबंधी सुविधाएं जुटाये जाने हेतु नगर पालिक निगम, के खाते मे जमा कराना आवश्यक होगा । यह राशि स्वीकृत एफ.ए.आर के मान से देय होगी ।
- 12 किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा विवाद होने पर या गलत जानकारी देने या ज्ञाप में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा स्वमेव अस्तित्व विहीन हो जावेगी या अनापत्ति म.प्र.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिक्वोक) कर दी जावेगी।

संलग्न:- एक स्वीकृत मानचित्र


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन


क्रमांक ²⁰⁴⁷ / पीपीयू / 26 / 10 / नग्रानि
प्रतिलिपि:-

उज्जैन, दिनांक 2/12/2010

1 श्रीमती प्रमिलादेवी गुप्ता, श्रीमती सुधा गुप्ता, डा. मयंक गुप्ता, मिस. अपूर्वा गुप्ता, 76,
विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन

2. वेबसाइट कापी

संलग्न:- एक स्वीकृत मानचित्र


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन